

बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनेन्सियल कारपोरेशन लि० पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, हार्डिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph:0612-2204975) Fax :0612-2215994

(Email= bsmfclpatna-bih@gov.in website:www.bsmfc.org)

संचिका संख्या/नि०/रोजगार ऋण-03-52/2022.....

पटना, दिनांक:

2185

04-10-2023

स्वीकृत्यादेश

निगम के ज्ञाप संख्या-1197 दिनांक-23.07.2018 के आलोक में राज्य सम्पोषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना 2020-2021 एवं 2021-2022 अन्तर्गत जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा दिनांक-25.06.2022 से 30.06.2022 को चयनित लघु ऋण क्र०सं० 01 से 02 तक के आवेदकों में से निम्नांकित आवेदकों से प्रमण्डलीय प्रभारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी मधेपुरा द्वारा के त्रुटिहीन दस्तावेजीकरण एवं स्थल जाँच निष्पादित करारकर ऋण स्वीकृति देने के लिए निगम मुख्यालय को भेजा गया । जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी मधेपुरा की अनुशंसा के आधार पर कुल 02 लाभुक को उनके नाम के सामने अंकित ट्रेड में 5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दर्शाये गए ऋण राशि की स्वीकृति दी जाती है। साथ ही विभागीय पत्र संख्या 2127 दिनांक 05.12.2018 के तहत RTGS/NEFT के माध्यम से ऋण राशि भुगतान करने हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में स्वीकृत ऋण राशि में से 0.5% प्रोसेसिंग चार्ज कटौती करने के पश्चात नीचे शुद्ध भुगतये के स्तम्भ में दर्शाये गये राशि सीधे सम्बन्धित लाभुक के आधार कार्ड आच्छादित बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से अंतरित करने के लिए आदेश दिया जाता है :-

Sl. No	चयन सूची क्र०सं०	आई० डी० संख्य	Appl_Name / F/H_Name & Address	Bank A/c No.	Trade	Sanctioned Loan Amount	Less 0.5% Processing Charge	Embossing Charge-2030/-	Net Payable Amount
1.	3	163	SAJDA PRAWEEEN, W/o- MOHAMMAD AFJAL , Vill.-SAGARDINA, Block-BIHARIGANJ, PS-BIHARIGANJ, PO-BAIJNATHPUR, Distt.-MADHEPURA-852101, MOB-4011839431	A/c No.:- 50210037273030 BDBL0001206	BEAUTY PARLOUR	100000	500	2030	97470
2.	2	456	TAKALLUM BEGUM, W/o- MD TARIQUE ANWAR, Vill.- LAUALAGAON, Block-CHAUSA, PS-CHAUSA, PO-LAUALAGAON, Distt.-MADHEPURA-852213, MOB-9661995575	A/c No.:- 3594162871 CBIN0283034	BUSINESS	200000	1000	2030	196970
TOTAL						300000	1500	4060	294440

स्वीकृत ऋण राशि में वर्णित ट्रेड में लाभार्थी द्वारा परिसम्पत्तियाँ/सामग्रियों का क्रय 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा ऋण राशि से सृजित की गयी परिसम्पत्तियाँ अथवा क्रय की गयी सामग्रियों की भौतिक जाँच जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी द्वारा अपने पर्यवेक्षण में किसी कर्मी से कराते हुए आंकड़ा संधारित करेंगे एवं प्रतिवेदन की एक प्रति निगम मुख्यालय को भी उपलब्ध करायेंगे ।

उक्त स्वीकृत ऋण को ऋणधारक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान त्रैमासिक किस्तों अर्थात् 5 वर्षों में वापस किया जाना है ।

ह0/-


प्रबंध निदेशक

ज्ञापांक:-रो.ऋण.-3-52/22-----**2185**

दिनांक:-

04-10-2023

प्रतिलिपि:-जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । आपके द्वारा जाँचोपरान्त प्राप्त 02 दस्तावेज/अभिलेख को ऋण की स्वीकृति दी गई है । भविष्य में दस्तावेज/अभिलेख में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो सारी जिम्मेवारी आपकी होगी ।


सहायक निदेशक